न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 157/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुखराज पुत्र अचलुराम जाति ब्राह्मण निवासी बनाड तहसील व जिला जोधपुर		तहसीलदार सोजत जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 4–7–2017 जो उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध वाद संख्या 160/2016 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–सुश्री सुशीला शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपीलांट के खरीदसुदा एवं कब्जासुदा कृषि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 371 रकबा 0.7600 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 372 रकबा 1.4600 हेक्टेयर भूमि जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे मे दर्ज थी परंतु राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त खसरा नंबर 372 मे बिना किसी न्यायालय के आदेश के नई तरमीम करते हुए बट्टा नंबर 372/1855 मार्क कर दिये । खसरा नंबर 372 के राजस्व नक्शे मे की गई गलत तरमीम अंकन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–7–2017 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार सोजत से दिनांक 4–7–2017 को ही जवाब लेकर उक्त जवाब की प्रति अपीलांट को दिये बिना ही उसी दिन अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना सुने पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने सें निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने जिस समय उक्त अपीलाधीन भूमि खरीद की थी उस समय राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 372/1855 तरमीम किया हुआ नही था तो राजस्व नक्शे मे किस आधार पर तरमीम किया गया, उसका कोई उल्लेख नही है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि इस संबंध मे जिला कलेक्टर भू अभिलेख के समक्ष भी अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा नंबर

372/1855 के जमाबंदी की नकल चाही जाने पर अवगत कराया कि खतौनी बंदोबस्त ग्राम मेव का संवत 2033 से 2052 का मिलान किया जाने पर उक्त खसरा नंबर का इन्द्राज नही होने की सूचना दी गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर अपीलांट की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 372 के राजस्व नक्शे मे की गई गलत तरमीम को निरस्त करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सोजत से जवाब एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर जो अपीलाधीन निर्णय, पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का भी अध्ययन किया । इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उनका भी अवलोकन करने से प्रकट है कि अपीलांट ने अपील मे वर्णित ग्राम मेव के खसरा नंबरान 371 एवं 372 की अपीलधीन भुमि कुल 2.2200 हेक्टेयर जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख से खरीद की थी तथा खरीद के आधार पर अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ तथा अपीलांट ने जब भूमि खरीद की थी, तत्समय उक्त भूमि के राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 372 के कोई बट्टा नंबर नही थे, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30–6–14 को जारी प्रमाणित प्रति से होती है । परंतु राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 372 मे नई तरमीम करके उसके बट्टा नंबर 372/1855 डाल दिये जाने पर अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सोजत केम्प मेव मे उक्त तरमीम को निरस्त करने बाबत दिनांक 14–6–2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का मेव की रिपोर्ट तलब की गई ।

पटवारी हल्का मेव ने उक्त प्रार्थना पत्र पर ही अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि दिनांक 30–6–2014 को जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल पुराने नक्शे से जारी की गई उसमे खसंरा नंबर 372 मे तरमीम नही की हुई थी लेकिन पुरान नक्शा जीर्ण शीर्ण होने एवं फटा होने से भू अभिलेख शाखा पाली से नया नक्शा बनाया गया जिसमे खसरा नंबर 372/1855 का अंकन था तथा प्रार्थी को पुनः 26–5–2016 को नये नक्शे की नकल जारी की गई जिसमे खसरा नंबर 372 मे 372/1855 की तरमीम की हुई है जबकि उक्त खसरा नबर वर्तमान जमाबंदी मे किसी के नाम दर्ज नही है । उक्त तरमीम कैसे व किसके आदेश से हुई, इसकी सूचना जिला कार्यालय की भू अभिलेख शाखा पाली से प्राप्त कर सकते है, का उल्लेख किया है ।

अपीलांट ने जिला कलेक्टर भू अभिलेख शाखा पाली से ग्राम मेव की जमाबंदी संवत 2033 से 2052 तक की नकल खसरा नंबर 372/1855 बाबत चाही जाने पर प्रार्थी के आवेदन के पीछे की गई रिपोर्ट अनुसार "कार्यालय मे जमा रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त ग्राम मेव का संवत 2033 से 2052 का मिलान किया गया, प्रार्थी द्वारा चाहे गये खसरा नंबर 372/1855 का इन्द्राज अंकन होना नही पाया गया, की रिपोर्ट आई है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट भी उपलब्ध है जिसमे मे यह तथ्य आया है कि अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे खसरा नंबर 372 है, नक्शा लट्ठा मे खसरा नंबर 372/1855 है, दोनो अभिलेखो मे भिन्नता है तथा खसरा नंबर 372 का बट्टा नंबर 1855 अगर हटाया जाता है तो एकरूपता हो जायेगी किन्तु क्षेत्रफल मिलान नही होगा ।

केता के खसरा नंबर 371 व 372 मे बेचान दस्तावेज के पडौस, मौके पर कब्जा काश्त बाबत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे तथा खसरा नंबर 372 के विकेता के खाते मे कम रकबे की खातेदारी अंकित थी तो रकबा बरारी से यह पता करें कि वास्तव मे खसरा नंबर 372 की कुल भूमि कितनी है, शेष रकबा राज दर्ज करवाये तथा पूर्ण जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–7–2017 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन खसरा नंबर 372 जिसका रकबा बडा था, जिसके कुछ भाग का बेचान अपीलांट को हुआ है । अपीलांट के खरीदसुदा खातेदारी के खसरा नंबर 372 के संबध मे मौका निरीक्षण तलब करें, तथा इस तथ्य की जानकारी हासिल करे कि राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 372 के बट्टा नंबर 372/1855 कब, कैसे व किसके आदेश से डाले गये । यदि अपीलांट की खातेदारी मे खसरा नंबर 372 का दर्ज रकबे से राजस्व नक्शा मे रकबा ज्यादा दर्शाया गया है तो इस संबंध मे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानासम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर